न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 155/13

अनवान :

कलावती पुत्री मोमनराम पत्नि शेरसिंह जाति जाट निवासी डोबी तहसील एवं जिला हिसार (हरियाणा)

– वादीया

बनाम

1. मोमनराम पुत्र श्री हरसुख पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. हेतराम
3. रामप्रसाद
4. सीताराम
5. करतारसिंह

   पिसरान मोमनराम पुत्र श्री हरसुख जाति जाट निवासीगण अजीतपुरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
6. सब रजिस्ट्रार भादरा।
7. सरकारी ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा जरिये बैंक प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा **: वादिया**
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: प्रतिवादी सं0 4**

निर्णय **दिनांक : 28.2.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि हरसुख पुत्र श्रीचन्द का आज से करीब 10 वर्ष पुर्व देहान्त हो गया। हरसुख के तीन लड़के मोमनराम, मोहरसिंह व ओमप्रकाश हुवे। मोमनराम के एक पुत्री वादीया एवं चार पुत्र प्रतिवादी सं0 2 से 5 है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 वादीया व प्रतिवादी सं0 2 से 5 का पिता है एवं वादीया व प्रतिवादी सं0 1 से 5 संयुक्त हिन्दु मिताक्षरा परिवार के सदस्य है एवं प्रतिवादी सं0 1 पिता होने के कारण परिवार का कर्ता है।

हरसुख पुत्र श्रीचन्द के पास गांव अजीतपुरा की रोही में खसरा सं0 928 की 45 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 1021 की 20 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं0 824 की 11 बीघा 9 बिस्वा खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि थी।

हरसुख पुत्र श्रीचन्द के देहान्त के बाद उसकी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि परिवार का कर्ता होने के कारण कागजात माल में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा सं0 1092 की 5.4130 है0 खसरा सं0 1021 की 3.1870 है0 खसरा सं0 1379/928 की 2.0240 है0 खसरा सं0 824 की 0.9650 है0 खसरा सं0 928 की 2.0204 है0 कुल 8.200 है0 वादीया व प्रतिवादी सं0 1 से 5 की दादाताई काश्तकारी कृषि भूमि है जिसमें से मोमनराम के नाम की कृषि भूमि से वादीया व प्रतिवादी सं0 2 से 5 प्रत्येक का उपर वर्णित कृषि भूमि में जन्म से हक

व अधिकार है उपर वर्णित दादालाई कृषि भूमि में से 1/6–1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादीया की ससुराल गांव डोबी(हरियाणा) में है। वादीया अजीतपुरा व डोबी दोनों जगह आधोचार करती है। वादीया अपने हिस्से की कृषि भूमि को खुद काश्त करती व करवाती है। वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 से अपने हक हिस्से की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने वाद भूमि मुन्तकिल करने की वादीया के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने की धमकी दी इसलिए वादीया प्रतिवादी सं0 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी करा पाने की अधिकारिणी है कि प्रतिवादी सं0 1 वाद भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत बेंजा स्वयं या अपने आदमियों द्वारा नहीं पहूंचावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने जबाबदावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 अलग रहते है व बाहर नौकरी करते है। वादिया ने अपनी मां को दावा में पार्टी नहीं बनाया है। इसलिए भी दावा काबिल खारिजी के है।

भूमि प्रतिवादी की स्वयं की है। इसमें वादिया का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादिया किसी भी प्रकार की घोषणा करा पाने की अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी ने यह भूमि अपने भाई से ली है। प्रतिवादी ने वादिया की शादी में काफी दान–दहेज दिया व सोने के जेवर भी दिये थे। गैरसायल के काफी कर्ज है। वादिया उक्त भूमि की किसी भी प्रकार से खातेदार काश्तकार नहीं है। इसलिए उसे जमाबन्दी दुरूस्त कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

वादीया ने कभी भी यह भूमि काश्त नहीं की ना ही वादिया अजीतपुरा में आती है। जब वादिया अजीतपुरा आई ही नहीं तो उसे धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीया किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने की अधिकारिणी नहीं है। जब वादिया ने कभी उक्त भूमि को काश्त ही नहीं किया व ना ही कभी आई तो उसके कब्जा काश्त में दखल का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादिया की दादालाई पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा वादिया व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 संयुक्त हिन्दू मिताक्षरा परिवार के सदस्य है तथा वादिया रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा सं0 1092 की 5.4130 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 164 हिस्सा के 1/3 भाग में प्रतिवादी सं0 1 से 5 के साथ 1/18–1/18 हिस्सा व ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं0 1021 की 3.1870 है0 व खसरा सं0 1379/928 की 2.0240 है0 व खसरा सं0 824 की 0.9650 है0 खसरा सं0 928 की 2.0240 है0 कुल 8.200 है0 खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज उक्त भूमि में वादिया व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है ?

— वादिया

2. आया वादिया प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है ?

— वादिया

3. आया वादभूमि प्रतिवादी स्वयं की स्व अर्जित भूमि है तथा वादिया का उसमें कोई हक हिस्सा नहीं है ?

— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादिया कलावती पीडब्ल्यु 1 के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम अजीतपुरा खाता सं0 476/623 सम्वत् 2062–65 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम अजीतपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, 3, 4 प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादीगण की साक्ष्य पेश नहीं होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने कथन किया कि दावा पिता के जीवनकाल में पेश किया गया। 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन, जैसे बेटे को जन्म से अधिकारी वैसे ही बेटियों को अधिकार। प्रतिवादी ने जबाबदावा में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि पूर्व में कोई बंटवारा हो चुका है, वादिया को कोई हक हिस्सा मिला या उसने कोई हक तर्क किया। मेरे साक्ष्य का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। विवादित कृषि भूमि हरसुख के नाम नहीं, हरसुख की मृत्यु हो चुकी है, भूमि मोमन के नाम दर्ज है।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि सजरा खानदान अधुरा दर्ज किया है। हरसुख की पुत्रियों का कोई विवरण दावा में व सजरा में नहीं दिया है। वादभूमि जो मोमनराम के नाम है, वह सम्पूर्ण भूमि हरसुख की पुत्रियों ने अपना हिस्सा मोमनराम को दिया है जिसमें कलावती कोई हक नहीं मांग सकती। मोमनराम व हरसुख के वारिसान के सम्बन्ध में भी वादिया ने कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। वादिया अपना दावा साबित नहीं कर सकी है। हरसुख के बाद मोमन के नाम विरासतन उक्त भूमि दर्ज हुई हो ऐसा कोई नामान्तरण की प्रति/रिकार्ड पेश नहीं किया है।

बहस वकुलाए फरिकेन पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवेजों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में 3 तनकीयात कायम की गई है। तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

तनकी सं0 1 : इस तनकी के संबंध में प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 व 4 से विवादित भूमि पुश्तैनी होना साबित है। क्योंकि प्रदर्श 4 में उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 के पिता हरसुख के नाम दर्ज है। इसलिए वादिया का विवादित कृषि भूमि में जन्म से हक हिस्सा होना साबित होता है। इसलिए तनकी सं0 1 वादिया के पक्ष में तय की जाती है। चूंकि तनकी सं0 2, तनकी सं0 1 से संबंधित है। चूंकि तनकी सं0 1 वादिया के पक्ष में निर्णित हुई है इसलिए तनकी सं0 2 स्थायी निषेधाज्ञा की तनकी भी वादिया के पक्ष में तय की जाती है। तनकी सं0 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था चूंकि प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर वादभूमि को प्रतिवादी मोमनराम की स्वयं अर्जित होना साबित नहीं किया न ही वादिया की साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश किया है। इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

अनुतोष ? — हस्तगत प्रकरण में वादभूमि वादिया के पिता मोमनराम के नाम दर्ज है। मोमनराम को उक्त वाद भूमि अपने पिता हरसुख से प्राप्त हुई है। हरसुख की मृत्यु के पश्चात् मोमनराम को उक्त वादभूमि प्राप्त हुई। इस प्रकार मोमनराम को वादभूमि विरासतन प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण ने भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है,

जिससे वादभूमि प्रतिवादी मोमन की खुद पैदाकर्ता साबित हो। वादिया द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में सहदायिकी सम्पति में अपने हकों की पैतृक घोषणा चाही गई है। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम द्वारा बेटियों को सहदायिकी सम्पत्ति में बेटों के समान ही जन्म से अधिकार प्रदान किया है तथा तनकी सं0 1 व 2 वादिया के पक्ष में निर्णित हुई है। इस प्रकार वाद वादिया साबित है।

अत : वाद वादिया साबित होने कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा सं0 1092 की 5.4130 है0 कृषि भूमि में से 164 हिस्सा में से मोमनराम के 1/3 हिस्सा की बजाए वादिया व प्रतिवादी सं0 1 से 5 प्रत्येक 1/18–1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मोमनराम के नाम दर्ज रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा सं0 1021 की 3.1870 है0 खसरा सं0 1379/928 की 2.0240 है0 व खसरा सं0 824 की 0.9650 है0 व खसरा सं0 928 की 2.0240 है0 इस खाता की कुल 8.200 है0 खातेदारी कृषि भूमि जो अकेले प्रतिवादी सं0 1 मोमनराम की नाम दर्ज है की बजाय वादिया, प्रतिवादी सं0 1 मोमनराम व प्रतिवादी सं0 2 से 5 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 155/13

अनवान :

कलावती पुत्री मोमनराम पत्नि शेरसिंह जाति जाट निवासी डोबी तहसील एवं जिला हिसार (हरियाणा)

– वादीया

बनाम

1. मोमनराम पुत्र श्री हरसुख पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. हेतराम
3. रामप्रसाद
4. सीताराम
5. करतारसिंह

   पिसरान मोमनराम पुत्र श्री हरसुख जाति जाट निवासीगण अजीतपुरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
6. सब रजिस्ट्रार भादरा।
7. सरकारी ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा जरिये बैंक प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 4 श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादिया साबित होने कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा सं0 1092 की 5.4130 है0 कृषि भूमि में से 164 हिस्सा में से मोमनराम के 1/3 हिस्सा की बजाए वादिया व प्रतिवादी सं0 1 से 5 प्रत्येक 1/18–1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं मोमनराम के नाम दर्ज रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा सं0 1021 की 3.1870 है0 खसरा सं0 1379/928 की 2.0240 है0 व खसरा सं0 824 की 0.9650 है0 व खसरा सं0 928 की 2.0240 है0 इस खाता की कुल 8.200 है0 खातेदारी कृषि भूमि जो अकेले प्रतिवादी सं0 1 मोमनराम की नाम दर्ज है की बजाय वादिया, प्रतिवादी सं0 1 मोमनराम व प्रतिवादी सं0 2 से 5 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.2.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़